

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

अधिसूचना

राँची, दिनांक 02 नवम्बर, 2022

संख्या- 04/स्था.पद.-02-03/2020 का. 6811/ श्री विजयेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 9/20, गृह जिला- दुमका) की सेवा पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, ब्रोकारो के पद पर पदस्थापित करते हुए अगले आदेश तक इनकी सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

संख्या- 04/स्था.पद.-02-03/2020 का. 6812/ कार्यपालक दण्डाधिकारी, रागगढ़ के पद पर पदस्थापित मो0 आबिद हुसैन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 176/20, गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

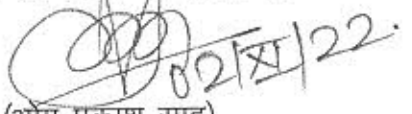
संख्या- 04/स्था.पद.-02-03/2020 का. 6813/ कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्रीमती रश्मि रंजन, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 582/20, गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, डालटेनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती रंजन को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत डालटेनगंज जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

संख्या- 04/स्था.पद.-02-03/2020 का. 6814/ कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित श्रीमती स्मृति कुमारी, झा0प्र0से0 (षष्ठम बैच, गृह जिला- गढ़वा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने वेतनमान में आवासीय दण्डाधिकारी, हटिया, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत राँची जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

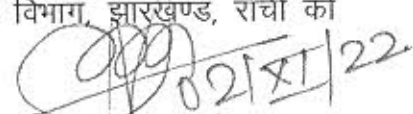
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(ओम प्रकाश साह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

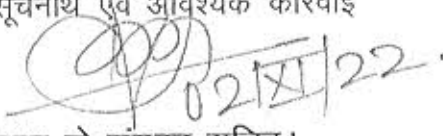
ज्ञापांक- 04/स्था.पद.-02-03/2020 का0 6815/राँची, दिनांक 02 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 04/स्था.पद.-02-03/2020 का0 6815/राँची, दिनांक 02 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-5 एवं उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा- 6, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।